एस.एस. सरोन और एस.पी. न्यायाधीश

हरप्रीतसिंह सेकियन-अपीलकर्ता

बनाम

राजवंत कौर- प्रतिवादी

2011 का एफएओ नंबर 6208

22 फ़रवरी, 2013

अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, *1890* - धारा *7* और *25* - हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, *1956*- धारा *6*- भारत में *4.12.2000* को बही हॉर्न और माता के साथ रहता है - पिता जो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी निवासी है, ने अपने जीपीए के माध्यम से नाबालिग बेटी की प्राकृतिक अभिभावक होने की अभिरक्षा की मांग की - जिला न्यायाधीश/परिवार न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी - जीपीए के माध्यम से पिता द्वारा एफएओ खारिज कर दिया गया - आयोजित, नाबालिग बच्चे का कल्याण

सर्वोपरि विचार - माता-पिता की ऊंचाई बच्चे के हित के लिए माध्यमिक है - हिरासत के लिए हाइट वह लागू नहीं करेगा जहां यह बच्चे के हित के साथ संघर्ष करता है - आगे कहा गया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक वह व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर नाबालिग के कल्याण के बारे में गवाही देने की स्थिति में नहीं हो सकता है जो नाबालिग के पिता के पास हो सकता है - इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा उसकी मनःस्थिति और आचरण और नाबालिग के संबंध में

उसके सम्मान के बारे में यह साबित करना आवश्यक है - नाबालिग की हिरासत को उस व्यक्ति को सौंपने के लिए अनुचित और असुरक्षित जो व्यक्तिगत मन की स्थिति के बारे में गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुआ है।

इसलिए, मुख्य रूप से यह देखा जाना चाहिए कि नाबालिग का डब्ल्यूसीएल किराया क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि विचार है। न्यायालय माता-पिता के प्राकृतिक अधिकारों का अधिक्रमण कर सकते हैं और बच्चे की अभिरक्षा को उसे बहाल नहीं कर सकते हैं, जहां अयोग्यता के कारण, बच्चे का कल्याण खतरे में है, माता-पिता का बच्चे की कस्टडी का अधिकार संपत्ति के अधिकार की तरह नहीं बल्कि बच्चे के लाभ के लिए विश्वास का अधिकार है। इसलिए, जहां एक माता-पिता उन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिनमें उसके पक्ष में विश्वास होता है, तो वह बच्चे की कस्टडी के अपने अधिकार को छोड़ देता है। माता-पिता का अधिकार बच्चे के हित के लिए गौण है। इली राइट को लागू नहीं किया जाएगा जहां यह बच्चे के हित के साथ संघर्ष करता है।

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता नाबालिग की हिरासत मांगने के लिए वर्तमान कार्यवाही में कभी पेश नहीं हुआ है और वह अपने पिता/वकील दी इराज सिंह स्कोन के माध्यम से याचिका का विरोध कर रहा है। साक्षय के रूप में दिनांक 22-2-2006 (Ex.Pl) को मुख्तारनामा दिया गया था। उक्त मुख्तारनामा को पढ़ने से पता चलता है कि 1 लारप्रक्ट सिंह सेखों को निम्नलिखित कार्य करने हैं

1. अपीलकर्ता के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति को बेचना, स्थानांतरित करना और खरीदना। इसमें कृषि भूमि भी शामिल है।

2. अपीलकर्ता के नाम पर बचत बैंक और सावधि जमा खाते खोलें और संचालित करें।

3. . अपीलकर्ता के नाम पर भारत के यूनिट ट्रस्ट और किसी भी वित्तीय संस्थानों में रखे गए खातों को संचालित करना।

4. एलबी अपीलकर्ता और उसके नाम के लिए किसी भी प्रकृति या प्रकार के किसी भी और सभी वैध व्यवसाय में संलग्न और लेन-देन करता है।

5. . किसी भी कार्य, अधिकार, शक्ति, कर्तव्य या दायित्व का प्रयोग करना, करना या करना या करना, जो कभी भी अपीलकर्ता के पास किसी भी व्यक्ति, मद, चीज, लेनदेन, व्यावसायिक संपत्ति, वास्तविक या व्यक्तिगत, मूर्त या अमूर्त या मामले से संबंधित होने वाले संबंध में प्रयोग करने, करने या प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार, शक्ति या क्षमता प्राप्त हो सकती है।

6. इस उपकरण को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में माना और व्याख्या की जानी है, जो कि मैं लाप्र्रेक्ट सिंह स्कोन ने कहा कि अटॉर्नी को सभी और हर कार्य और चीजों को करने और करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार जो भी आवश्यक और आवश्यक है, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जैसा कि हरप्रक्ल सिंह सेखों कर सकते हैं या कर सकते हैं यदि व्यक्तिगत रूप से पूरी शक्ति के साथ ऐसा करने में उपस्थित हों प्रतिस्थापन और निरसन एतद्द्वारा उन सभी की पुष्टि और पुष्टि करता है जो हरप्रीत सिंह स्कोन ने कहा कि अटॉर्नी इसके आधार पर करते हैं या करते हैं।

(पैरा 17)

आगे कहा गया, कि उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी का पठन एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रकृति में है, जिसमें नाबालिग की हिरासत की मांग करने वाली कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोई शक्ति शामिल नहीं है।

(पैरा 18)

आगे कहा गया कि इसलिए, दिलराज सिंह स्कोन को अपीलकर्ता की ओर से मुकदमा चलाने के लिए विधिवत अधिकृत नहीं कहा जा सकता है। किसी भी आसानी से दिलराज सिंह स्कोखों को व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर नाबालिग के कल्याण के संबंध में गवाही देने की स्थिति में नहीं कहा जा सकता है जो वास्तव में नाबालिग के पिता के पास हो सकता है। अपीलकर्ता द्वारा उसकी मन:स्थिति और आचरण और नाबालिग के संबंध में उसकी सदाशयता के बारे में यह साबित और स्थापित किया जाना आवश्यक है और नाबालिग की हिरासत को पिता को सौंपना काफी अनुचित और असुरक्षित होगा जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में उपस्थित नहीं हुआ है और गवाही नहीं दी है, आचरण और सदाशयता लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अपने पिता के माध्यम से मुकदमा कर रहा है, जो अन्यथा भी अनुचित है।

(पैरा 20)

सुरजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता इशरत कौर, अपीलकर्ता के वकील और दिलराज सिंह सेखों, अपीलकर्ता के जीपीए मोल्डर, व्यक्तिगत रूप से।

मनीष जैन, अधिवक्ता, श्री अमन सिंगला, अधिवक्ता और श्री तजिंदकर सिंह, प्रतिवादी के वकील प्रतिवादी के साथ - सुश्री कजवंत कौर व्यक्तिगत रूप से।

एस. एस **सरोज, न्यायमूर्ति**

(1) अपीलकर्ता हरप्रसेट सिंह सेखों द्वारा अपने पिता और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी श्री दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 23.8.2011 के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसमें नाबालिग बच्चे अर्थात् बेबी स्करत कौर सेखों की कस्टडी मांगने के लिए अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 की

धारा 7 और 25 के तहत अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई है।

(2) प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दर्ज करके याचिका का विरोध किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिका पूरी तरह से गलत और कष्टप्रद थी। यह केवल प्रतिवादी को ब्लैकमेल करने और उस पर दबाव डालने के लिए दायर किया गया था ताकि वह अपीलकर्ता के खिलाफ अपने बहु-आयामी मुकदमे को आगे न बढ़ाए। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे को एक मझधार में छोड़ दिया था और उन्हें भारत में पूरी तरह से छोड़ दिया था, जबकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका ('यूएसए' - संक्षेप में) में अपने जीवन का आनंद ले रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता साफ हाथों से अदालत में नहीं आया था और जानबूझकर याचिका में तथ्यात्मक स्थिति को दबा दिया था। इसके अलावा, उनके पास अपने स्वयं के आचरण को देखते हुए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, जो एक पिता के लिए अयोग्य और अनसुना था। 4.12.2000 को भारत में पक्षकारों के बीच विवाह से बाहर बच्चे स्केरत सेखों का जन्म स्वीकार किया जाता है। 'पार्टियों के बीच इली शादी, यह प्रस्तुत किया गया है, एक अरेंज मैरिज थी। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता ने प्रतिवादी और उसके माता-पिता को आश्वासन दिया था कि प्रतिवादी को शादी के तुरंत बाद यूएसए ले जाया जाएगा। 1 लोकेवीसीआर, शादी के बाद, प्रतिवादी को मोहाली में अपीलकर्ता के पैतृक घर पर फेंक दिया गया था, जबकि अपीलकर्ता यूएसए के लिए रवाना हो गया था। वह एक-दो साल बाद थोड़े अंतराल के लिए आ रहा था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी के परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण विवाह की शुरुआत से ही बेहद खराब था। वे 50 लाख रुपये नकद और बीएमडब्ल्यू कार की मांग करने लगे। प्रतिवादी को अक्सर अपीलकर्ता द्वारा पिटाई दी जाती थी। .

2003 में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को अपने दूसरे पैतृक घर यानी ली। नंबर, 645, सेक्टर 16, फरीदाबाद। उसे वहीं छोड़ दिया गया जबकि अपीलकर्ता अमेरिका के लिए रवाना हो गया। उस समय, प्रतिवादी पारिवारिक तरीके से था। 11 इसके अनुसार, न तो अपीलकर्ता और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसकी देखभाल की। उसकी देखभाल के लिए अपीलकर्ता की तरफ से कोई नहीं था। उक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी के माता-पिता उसके बचाव में आए। बेबी स्क्रेट का जन्म फरीदाबाद में हुआ था। उसके जन्म के बाद, अपीलकर्ता ने कभी भी भारत आने के लिए उसे देखने के लिए नहीं देखा कि बच्चे को देखने के लिए भारत आने वाले उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में क्या बात की जाए। 'अपीलकर्ता ने आज तक प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे के रखरखाव के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। इसके विपरीत, अपीलकर्ता के पिता अर्थात् दी इराज सिंह स्कोन प्रतिवादी, उसके भाई जगजीत सिंह और उसके पिता सरवन सिंह निज्जर के खिलाफ एक तुच्छ मामले से भाग गए थे कि उन्होंने ताला तोड़ने के बाद जबरन अतिक्रमण किया था। फ्लिक ने कहा कि प्रतिवादी और उसके भाई जगजीत सिंह के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद की अदालत में आपराधिक मामला लंबित है। 1 कम ही पुलिस ने सरवन सिंह निज को आरोपियों की सरणी से बाहर कर दिया। अपीलकर्ता और उसके पिता दी इराज सिंह स्कोन ने उसी समय नाबालिग बच्चे बेबी स्केक्रेट स्कोन के खिलाफ मकान नंबर 645, सेक्टर 16, फरीदाबाद को खाली करने के लिए सिविल कोर्ट से अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त की थी। 'उक्त डिक्री के एफएचसी संचालन, हालांकि, इस अदालत द्वारा नियमित दूसरी अपील में रोक लगा दी गई थी। इस बात से इनकार किया जाता है कि शादी की तारीख से, अपीलकर्ता प्रतिवादी को पूरे आराम से रख रहा था या जीवन की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान कर रहा था। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी अपनी शादी की शुरुआत से ही झगड़ालू प्रकृति का था या अपीलकर्ता और परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 11 को इस बात से भी वंचित किया जाता है कि उसने अपीलकर्ता को नापसंद करना शुरू कर दिया था और हमेशा वैवाहिक घर में अराजकता और उपद्रव पैदा करने की कोशिश की थी। वास्तव में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे के लिए कभी कान नहीं दिया था। शादी के बाद ज्यादातर समय प्रतिवादी को मोहाली स्थित घर में अकेला छोड़ दिया गया और उसे अपना गुजारा भत्ता देने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। 'एफएचसी प्रतिवादी को मोहाली में अपने ससुराल में रहने के लिए भी अपने माता-पिता से वित्तीय मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एफएचसी अपीलकर्ता और उसके माता-पिता ने प्रतिवादी को यूएसए ले जाने के लिए केवल झूठे वादे किए। 1 कम है, वास्तव में उन्होंने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया था। इसके विपरीत, प्रतिवादी के ससुर (दी इराज सिंह स्कोन) उसे झूठी जानकारी के आधार पर वीजा के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। 1 यानी उसे खुद को दिखाने के लिए भी मजबूर कर रहा था

वीजा फॉर्म में अविवाहित और वह उसे अपने दोस्त की बेटी के रूप में पेश कर रहा था। इस संबंध में दस्तावेज अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे में न्यायिक फाइल का हिस्सा हैं, जिसे विद्वान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 25.8.2010 के निर्णय और डिक्री के तहत तय किया गया था, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा यूएस ए में एक अदालत से प्राप्त तलाक की डिक्री को अलग रखा गया था। दहेज की मांगों के मद्देनजर, प्रतिवादी को अपीलकर्ता, उसके पिता, माता और कुछ अन्य महिला रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498-ए और 406 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने के लिए पुलिस स्टेशन सेंट्रल, फरीदाबाद में एफआईआर संख्या 251 दिनांक 6.7.2005 दर्ज करनी थी। 'इली प्रतिवादी, यह प्रस्तुत किया गया है, हमेशा बहुत विनम्र और विनम्र था और हमेशा अपीलकर्ता और उसके ससुराल वालों को उचित सम्मान और सम्मान देता था, लेकिन बदले में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लात मारी गई और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, जो इन दिनों भी जानवरों के साथ नहीं किया जाता था। इस बात से इनकार किया जाता है कि कई मौकों पर प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि जब उसे समझाने के लिए मजबूर किया जाता था, तो वह अपीलकर्ता की उपस्थिति में अपने नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटती थी। वास्तव में, अपीलकर्ता एक यात्रा में तीन या चार दिनों से अधिक नाबालिग बच्चे के साथ कभी नहीं रहा। मैंने प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे को पूरी तरह से छोड़ दिया था और त्याग दिया था, 'प्रतिवादी के माता-पिता ने बच्चे की डिलीवरी के लिए किए गए खर्च को वहन किया था। इसके बाद भी, वे प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे के दिन-प्रतिदिन के खर्च को वहन कर रहे थे। इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी ने वर्ष 2001 में अपने सभी मूल्यवान कपड़े, गहने, अपीलकर्ता के नकद सामान लेकर या नाबालिग बच्चे को चुपके से अपने साथ ले जाकर वैवाहिक घर छोड़ दिया, 'पंचायतों की व्यवस्था प्रतिवादी के पिता द्वारा की गई थी, न कि अपीलकर्ता द्वारा। वे बर्बर लोगों की तरह थे। उन्होंने आज तक नाबालिग बच्चे पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, 'प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे को बिना किसी नैतिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता के छोड़ दिया गया था। 'इली अपीलकर्ता ने सबसे चतुराई से प्रतिवादी को उसके पैतृक घर यानी आई आई नंबर 645, सेक्टर 16, फरीदाबाद में छोड़ दिया। वह प्रतिवादी को शीघ्र ही अमेरिका ले जाने के वादे के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। हालांकि, उन्होंने उनकी देखभाल के लिए वापस आने की परवाह नहीं की। प्रतिवादी के ससुर ने अपीलकर्ता के साथ मिलकर अतिचार का झूठा आपराधिक मामला दायर किया! उपरोक्त घर में प्रतिवादी, उसके भाई और उसके पिता के खिलाफ। अपीलकर्ता, यह प्रस्तुत किया जाता है, सबसे कपटपूर्ण तरीके से एक पूर्व पक्षीय तलाक प्राप्त किया

कुक काउंटी, इलिनोइस (यूएसए) के कोर्ट से डिक्री। वास्तव में उक्त न्यायालय के पास उक्त याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि प्रतिवादी ने कभी भी उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन और खुद को

प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी कभी अमेरिका की नागरिक नहीं रही बल्कि वह कभी अमेरिका नहीं गई। इसके अलावा, उसकी शादी भारत के जालंधर में हुई। जैसे ही प्रतिवादी को तुच्छ और कपटपूर्ण तलाक की डिक्री के बारे में पता चला, उसने इसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के तहत एक सिविल सूट के माध्यम से चुनौती दी। उक्त तलाक की डिक्री को न्यायालय द्वारा दिनांक 25-08-2010 के निर्णय और डिक्री के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया था। यह आरोप कि प्रतिवादी का व्यवहार क्रूर बना हुआ था और उसने अपीलकर्ता के वैध तलाक के बाद 11.No 645, सेक्टर 16, फरीदाबाद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और वह नाबालिग की गैरकानूनी हिरासत में है। वास्तव में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को वर्ष 2003 में फरीदाबाद में घर में छोड़ दिया था, जबकि अमेरिका वापस चला गया था। यह कहा गया है कि यह अपीलकर्ता है जो नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटता था जब वह नशे में था। अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ अपने अल्प प्रवास के दौरान नशे में रहा। प्रतिवादी, यह कहा गया है, नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है। अपीलकर्ता को अपनी हिरासत लेने का कोई अधिकार नहीं था। नाबालिग बेटी बहुत अच्छी स्थिति में है और उस पर सबसे अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। वह फरीदाबाद में रह रही है। अपीलकर्ता ने नाबालिग बच्चे की देखभाल करने की कभी परवाह नहीं की। प्रतिवादी को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत उसके द्वारा दायर याचिका में रखरखाव की मांग करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रतिवादी और उसकी बेटी को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा क्रमशः 30,000/- रुपये और 20,000/- रुपये प्रति माह तक रखरखाव का आदेश दिया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता ने रखरखाव भत्ता का भुगतान करने के बजाय, अपील दायर की थी। अपीलकर्ता की मां, यह प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी की नाबालिग बेटी की देखभाल करने का कोई अधिकार नहीं है। जब प्रतिवादी जीवित थी और वह अपनी बेटी का सर्वोत्तम संभव तरीके से पालन-पोषण करने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो अपीलकर्ता की मां द्वारा उसकी देखभाल क्यों की जानी चाहिए, जिसे नाबालिग बेटी से कोई प्यार और स्नेह नहीं था। 1411 तारीख के अनुसार, अपीलकर्ता की मां एक बार भी प्रतिवादी की बेटी के पास नहीं आई थी और अब अचानक यह दावा किया जाता है कि वह नाबालिग बच्चे को लाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता, उसके पिता और माता अत्यधिक असभ्य हैं। यदि नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपीलकर्ता को सौंप दी जाती है, तो अपीलकर्ता बच्चे के जीवन को बर्बाद कर देगा। अपीलकर्ता नाबालिग के साथ बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था

बच्चा। न तो अपीलकर्ता और न ही नाबालिग बच्चा एक-दूसरे को पहचान पाएंगे क्योंकि अपीलकर्ता ने कभी भी नाबालिग बच्चे से मिलने और मिलने की परवाह नहीं की थी। यह गलत है और इस बात से इनकार किया गया है कि प्रतिवादी ने बच्चे के प्रति एक माँ के अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी दर्द नहीं उठाया था। नाबालिग बेटी अब 10 साल की हो चुकी है और वह खुद अदालत को बता सकती है कि उसके पिता उसके और उसकी मां के प्रति कैसे क्रूर थे। यह

अपीलकर्ता है जो नाबालिग बेटी के संबंध में पिता के रूप में अपने कर्तव्यों में विफल रहा था। बच्चे के कल्याण और हित की रक्षा केवल तभी की गई जब वह प्रतिवादी की अभिरक्षा में थी। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता नाबालिग बेटी को मार देंगे यदि उसकी कस्टडी अपीलकर्ता को सौंप दी गई थी। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता निश्चित रूप से नाबालिग बेटी की विशेष हिरासत का हकदार नहीं था। वह बेटी की कस्टडी के लिए सबसे अयोग्य व्यक्ति था क्योंकि वह एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से विफल रहा था।

(3) पक्षकारों के बीच विवाह 9-2-2000 को संपन्न हुआ। वे पति-पत्नी के रूप में रहते थे और उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम बेबी स्केक्रेट सेखों था जो प्रतिवादी की हिरासत में है। 14.5.2008 को याचिका दायर करने के समय, नाबालिग की उम्र लगभग साढ़े सात साल थी और वह प्रतिवादी-मां के साथ रह रही थी। अपीलकर्ता के अनुसार, पक्षों के बीच शादी के बाद से, वह प्रतिवादी को सभी सुख-सुविधाएं देकर और उसे जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रदान करके रख रहा था। हालांकि, शादी की शुरुआत से ही जवाब कुछ प्रकृति के झगड़े का पाया गया था। शादी के दौरान वह अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ तुच्छ मुद्दों पर झगड़ा करती थी, अपीलकर्ता की ओर से कोई गलती किए बिना; इसके अलावा, वह उसे नापसंद करने लगी। उसने हमेशा ससुराल में अराजकता और उपद्रव पैदा करने की कोशिश की। 'हिस ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए शारीरिक और अत्यधिक मानसिक क्रूरता पैदा की। इसके अलावा, उनका विवाहित जीवन एक आभासी नरक में रहने जैसा था। कई मौकों पर, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसे समझाया गया और समझाया गया लेकिन उसके व्यवहार में सुधार करने के बजाय, वह अपीलकर्ता की उपस्थिति में पार्टियों के नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटती थी और जब वह उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता था, तो वह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को यह कहकर धमकी देती थी कि वह उन्हें दहेज की मांग के झूठे मामलों में शामिल कर लेगी। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को यह कहकर अपमानित करता था कि वे उसके मामलों में हस्तक्षेप करने वाले कोई नहीं हैं। वह अपने बच्चे के साथ किसी भी क्रूर तरीके से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र थी
जो भी हो। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने, अपमानित करने और बदनाम करने के इरादे से भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 406 के तहत अपराधों के लिए 6.7.2005 को झूठा ई 1 आर नंबर 251 दर्ज किया, जिससे अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। प्रतिवादी के लिए अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की सहमति और अनुमति के बिना, बिना किसी उचित और उचित कारण के अपने वैवाहिक घर को छोड़ने की सामान्य आदत बन गई थी। कई पंचायतों के आयोजन, अपीलकर्ता के बार-बार अनुरोध और प्रतिवादी के माता-पिता के घर जाने के बाद, वह अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुई, न ही वह नाबालिग बच्चे की

कस्टडी वापस करने के लिए सहमत हुई। बल्कि उसने अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी को भंग करने का इरादा व्यक्त किया अन्यथा वह और उसके परिवार के सदस्य अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अन्य दुर्भावनापूर्ण अभियोजन में शामिल कर लेंगे और उनके जीवन और करियर को खराब कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के पास प्रतिवादी के साथ अपनी शादी को भंग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और तदनुसार, अपीलकर्ता ने कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष तलाक की याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी द्वारा विधिवत चुनौती दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करते हुए, कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट के बीएलसी न्यायाधीश जेनर क्लीवलैंड बर्नस्टीन न्यायाधीश पर 11 ने 23.5.2005 के फैसले और आदेश को पार्टियों के विवाह को भंग कर दिया। उक्त निर्णय में नाबालिग बच्चे बेबी सेक्रेट स्कोन की कस्टडी सुरक्षित रखी गई थी और प्रतिवादी को नाबालिग बच्चे के वैध अभिभावक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार की आदत, यह प्रस्तुत किया गया है, अभी भी जारी है और उसने अपने माता-पिता और अपने माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलीभगत करते हुए पार्टियों के बीच वैध तलाक के बावजूद अवैध रूप से हाउंस No.645, सेक्टर- 16, फरीदाबाद पर कब्जा कर लिया था जो अपीलकर्ता से संबंधित है। वह नाबालिग बच्चे की कस्टडी को बिना किसी अधिकार के अपने साथ रख रही थी और नाबालिग बच्चे के साथ बेहद क्रूर तरीके से व्यवहार कर रही थी, उसकी छोटी-छोटी गलतियों पर उसे बेरहमी से पीट रही थी जो उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए हानिकारक थे। इस तरह के क्रूर व्यवहार का निश्चित रूप से नाबालिग बच्चे पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। प्रतिवादी को अब तक किसी भी अदालत द्वारा नाबालिग बच्चे के वैध अभिभावक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था और न ही घोषित किया गया था। प्रतिवादी ने भी नहीं किया था

न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा उक्त नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा विधिपूर्वक सौंपी गई है। इसलिए, अपीलकर्ता असली पिता होने के नाते एक फिट और वांछनीय व्यक्ति था, जिसे नाबालिग बच्चा, जो भारत में था, वापस करने के लिए उत्तरदायी था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपीलकर्ता को सौंप दी जाती है, तो अपीलकर्ता की मां बच्चे को अच्छी तरह से सुसंस्कृत तरीके से पालने के लिए पूरा समय दे सकती है। अमेरिका जैसे समृद्ध और सबसे विकासशील देश में बुद्धि, चरित्र और शिक्षा। अपीलकर्ता, यह कहा गया है, बच्चे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और वह एचसीआर समर्थन, कल्याण, अच्छाई, अच्छी शिक्षा और उचित परवरिश में गहरी रुचि रखता है। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने बच्चे के प्रति मां के कर्तव्यों को निष्पादित करने में कभी दर्द नहीं उठाया था। 'हिक्रफोर्क, आसानी से अपीलकर्ता को हिरासत सौंप दी गई थी, यह नाबालिग के हित, कल्याण और लाभ में होगा। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से अधिकार स्वीकार करने, प्रवेश करने और उसे अपनी हिरासत सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से उसी पर चल रही थी और आखिरकार 19.4.2008 को, उसने अपीलकर्ता के वैध अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि नाबालिग की हिरासत अपीलकर्ता को दी जाए।

(4) अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के लिखित बयान की प्रतिकृति दायर की, लिखित बयान में किए गए आरोपों से इनकार कर दिया। यह कहा गया है कि प्रतिवादी एक तलाकशुदा है और उसने अपीलकर्ता और उसके करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के प्रति-विस्फोट के रूप में झूठा और निराधार कोर्ट दायर किया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संपत्तियों से संबंधित एचसीआर की ओर से और बेबी स्क्रेट की ओर से प्रतिवादी द्वारा दायर अदालत को एक संदर्भ दिया गया है, जिसे वापस ले लिया गया था क्योंकि प्रतिवादी स्वामित्व या कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं कर सका था जिसके लिए उसने हलफनामा दायर किया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने पति को छोड़ दिया था और उसने आव्रजन फॉर्म G325 A नहीं भरा था, जिसके कारण बाद में तलाक हो गया। यह माना जाता है कि अपीलकर्ता हृदय की समस्या के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा उपचार से गुजर रहा था और अपीलकर्ता के पिता ने अपने चिकित्सा उपचार के लिए स्लेट बैंक ऑफ इंडिया, लुधियाना के माध्यम से उसे 10,000 डॉलर भेजे थे, 'यह कहा गया है कि वह संपत्ति हड़पने के लिए बच्चे का दुरुपयोग कर रहा था। जगजीत सिंह, भाई

प्रतिवादी, यह कहा गया है, बरीदाबाद में अपीलकर्ता के पिता के स्वामित्व वाले घर पर जबरन कब्जा है। करीब छह साल पहले घर का ताला तोड़ने के बाद अपने रिश्तेदारों की मदद से उस घर को अपने कब्जे में ले लिया गया था, जिस दौरान उक्त घर का मालिक अमेरिका में रह रहा था। प्रतिवादी और बच्चा उक्त घर में एक दिन के लिए भी नहीं रहे थे। जब भी जांच अधिकारी वहां जाता है तो प्रतिवादी उक्त घर पहुंचता है। यह कहा गया है कि शादी एक धोखाधड़ी थी और प्रतिवादी हर जगह धोखाधड़ी खेलता रहता है। यह ज्ञात नहीं था कि प्रतिवादी ने किस कक्षा में पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पास बीए की नकली डिग्री थी। प्रतिवादी और उसका भाई जगजीत सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 453/34 के तहत अपराधों के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे थे। बच्ची (स्क्रेट सेखों) बहुत खराब माहौल में रह रही थी। प्रतिवादी की मां और फटलिसर दोनों, यह कहा जाता है, चाप अनपढ़ और बेबी सेक्रेट उसी घर में रह रहे थे जिसमें वे रह रहे थे। प्रतिवादी के पिता ने बरीदाबाद में एक टेम्पो चालक के रूप में काम किया था और जब वह शराब नहीं पीता था तो एक भी शाम नहीं छोड़ती थी। यह माहौल अपीलकर्ता की बेटी के रहने के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए, अपीलकर्ता बच्चे को अपनी शिक्षा देने के लिए यूएसए ले जाना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा मानक के साथ शिक्षित परिवार के सदस्यों की संगति बच्चे की बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देगी। अपीलकर्ता के पिता भारत सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ श्रेणी 1 अधिकारी हैं और अमेरिका में शिकागो के सिटी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। अपीलकर्ता की मां ने भी भारत के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया था। प्रतिवादी झगड़ालू था और सिर सूजा हुआ था। 11 बच्चे के प्रति व्यवहार बहुत अशिष्ट था। वह अपने छोटे-मोटे दोषों पर बच्चे को बेरहमी से पीट रही थी। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों से इनकार किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता के पासपोर्ट में प्रविष्टियों से पता चलता है कि वह एक या दो साल के बाद छोटे अंतराल के लिए नहीं आ रहा था और वह वर्ष 2003 में प्रतिवादी को एच नंबर 645, सेक्टर 16, बरीदाबाद में छोड़ने के लिए भारत में नहीं था। II प्रस्तुत किया गया है कि शादी के बाद, अपीलकर्ता के पिता ने प्रवेश की व्यवस्था की थी और प्रतिवादी के लिए प्रायोजन भेजा था, लेकिन उसे अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली से वीजा नहीं मिल सका। इसके बाद, अपीलकर्ता के भाई ने कनाडा से प्रायोजन भेजा था, लेकिन प्रतिवादी साक्षात्कार के लिए कनाडा के अंग में नहीं गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने इमिग्रेशन b'onnG325A भेजा जिसे प्रतिवादी ने नहीं भरा। प्रतिवादी द्वारा रखे गए पासपोर्ट में प्रविष्टियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि वह

अमेरिकी दूतावास और रिक्त आप्रवासन फॉर्म G325 A पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसे आप्रवासन फॉर्म प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में यह कहा गया है कि पुलिस जांच के दौरान कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सका। बिना पता लगाए पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर विरोध याचिका को विद्वान अतिरिक्त

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद ने 4.9.2010 को खारिज कर दिया था। जब प्रतिवादी अपने पारिवारिक रास्ते पर थी, अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य यूएसए/कनाडा में रह रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रतिवादी को यूएसए ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। पक्षकारों के बच्चे का जन्म 4.12.2000 को हुआ था और अपीलकर्ता बच्चे को देखने के लिए 30.12.2000 को भारत आया था। प्रतिवादी और बच्चे के लिए वित्तीय सहायता अपीलकर्ता के पिता द्वारा प्रदान की गई थी जो भारत में था। प्रतिवादी और उसके भाई जगजीत सिंह को उनके द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों के लिए फरीदाबाद के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाना पड़ा। जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन का संबंध है, यह कहा गया है कि फरीदाबाद में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के संचालन पर अपीलकर्ता के पिता की अनुपस्थिति में रोक लगा दी गई थी, जो घर के पूर्ण मालिक थे। इससे पहले 2006 की सिविल पुनरीक्षण संख्या 435 को उच्च न्यायालय द्वारा 28-7-2008 को खारिज कर दिया गया था। कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के तहत निर्धारित आवश्यकता को पूरा करती है। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में यह कहा गया है कि पिता पुत्र और अविवाहित पुत्री का स्वाभाविक अभिभावक है।

(5) दिनांक 10.02.2012 को विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित नियम बनाए -

1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित आधार पर 7/2 साल की नाबालिग बेटी स्करेट सेखों की कस्टडी का हकदार है? विरोधी।

2. क्या लिखित बयान में उल्लिखित आधारों पर याचिका वर्तमान रूप में सुनवाई योग्य नहीं है? ओपीआर।

3. क्या याचिकाकर्ता अदालत के सामने साफ हाथ लेकर नहीं आया है? ओपीआर।

4. मदद।

(6) अपीलकर्ता दिलराज सिंह स्कोन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पीडब्लू 1 के रूप में पेश हुई और अपीलकर्ता पर साक्षय को बंद कर दिया। प्रतिवादी ने खुद को RW1 के रूप में जांचा और अपने साक्षय बंद कर दिए। अपीलकर्ता के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा लिखित तर्कों को टाइल किया गया था। इसके अलावा साक्षय के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। 'ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर सहमति बनाने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है।

(7) हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकील को सुना है और उनकी सहायता से आसानी के रिकॉर्ड के माध्यम से चला गया है, 'अपीलकर्ता की ओर से प्राथमिक विवाद यह है कि अपीलकर्ता अपनी नाबालिग बेटी का पिता

और प्राकृतिक अभिभावक है और पिता के जीवित होने पर मां नाबालिग की कस्टडी की हकदार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी कमाई नहीं कर रहा है और नाबालिग का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। अपीलकर्ता यूएस ए का स्थायी निवासी है और वह नाबालिग को यूएस ए में ला सकता है जहां वह उसका समर्थन कर सकता है और उसे यूएसए में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सकता है, जो मुफ्त है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि यूएसए में नाबालिग के लिए किसी टचूटर की आवश्यकता नहीं होगी। उसे अपीलकर्ता के पिता द्वारा पढ़ाया जाएगा जो शिकागो के सिटी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। बेबी स्कैक्रेट एक बुरे वातावरण में रह रहा है और प्रतिवादी के माता-पिता दोनों अनपढ़ थे और वह वातावरण नाबालिग के लिए अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रतिवादी झगड़ालू रहा है और तुच्छ मामलों पर झगड़ा करता था।

(8) जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पक्षकारों की नाबालिग बेटी का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था और अपीलकर्ता की नाबालिग में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही उसके पास उसके लिए कोई प्यार और स्नेह है। प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता ने नाबालिग बच्चे के साथ-साथ प्रतिवादी को भी भारत में छोड़ दिया था और उसने अदालत के विशिष्ट आदेशों के बावजूद नाबालिग या प्रतिवादी को कभी भी कोई रखरखाव राशि का भुगतान नहीं किया था, 'ट्रायल कोर्ट ने भी अदालत में नाबालिग की जांच की ताकि उससे पता लगाया जा सके कि वह किसके साथ रहना चाहती है, एफएचसी माइनर ने कहा कि वह अपनी मां की कस्टडी में खुश थी और उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और न ही वह आज तक उससे मिलने आए थे। उसने आगे कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती है और उसकी कस्टडी उसकी मां के पास रहनी चाहिए। उसने बताया कि वह फरीदाबाद के एमवीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी।

(9) नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामलों में मुख्य रूप से जो देखा और पता लगाया जाना चाहिए वह यह है कि नाबालिग का कल्याण और हित क्या होगा। यह सबूत में आया है कि नाबालिग अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। इसके अलावा, नाबालिग के पिता अर्थात् I larprctt सिंह भारत नहीं आए हैं और वह अपने पिता दी इराज सिंह के माध्यम से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अपीलकर्ता के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। याचिका और अपील को खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता के नेतृत्व में सबूत उसके पिता और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से हैं।

(10) सुनवाई के दौरान हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील से पूछा था कि क्या अपीलकर्ता अमेरिका से आ सकता है या वह कब आने की स्थिति में होगा ताकि पक्षों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण समझौते पर विचार किया जा सके। अपीलकर्ता के पिता, जो कथित रूप से अपीलकर्ता के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारण कर रहे हैं, ने कहा कि अपीलकर्ता को दिल की समस्याओं से पीड़ित है और वह भारत की यात्रा करने में असमर्थ है। इसलिए, इस न्यायालय के पास पार्टियों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए विचार करने का कोई मौका नहीं था और रिकॉर्ड पर साक्षय और सामग्री के आधार पर आसानी से निर्णय लिया जाता है।

(11) 'अटोमे के जनरल पावर अर्थात् दिलराज सिंह सेखों ने न्यायालय में अपने बयान में साक्षय में अपना शपथ पत्र (एक्स.पी.डब्ल्यू.आई/ए) दस्तावेजों के साथ प्रदर्श पी 4 के लिए प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत किया। उनके हलफनामे (Ex.PWI/A) में किए गए बचाव को दोहराया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास तलाक के आधार पर पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष तलाक की याचिका दायर की। 2 इलिनोइस, यूएसए जिसे दिनांक 23-5-2005 (Ex.P3) के आदेश की डिक्री दी गई थी और पक्षकारों को 9-2-2000 को भंग कर दिया गया था। प्रतिवादी के दुर्व्यवहार और उसके बुरे और अस्वीकार्य स्वभाव के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। जहां तक नाबालिग की अभिरक्षा के संबंध में प्रश्न का संबंध है, यह कहा गया है कि नाबालिग का पिता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे की देखभाल पूरे पिता के प्यार और स्नेह के साथ बेहतर तरीके से कर सकेगा। इसके अलावा, नाबालिग को हर तरह से अपने पिता का प्यार और स्नेह भी मिलेगा। याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है और पारिवारिक परिवहन व्यवसाय में काम कर रहा है, 'नाबालिग को सुसंस्कृत तरीके से लाया जा सकता है। के परिवार के अन्य सदस्य

याचिकाकर्ता अपने निर्वहन के बाद नाबालिग के साथ अधिक समय भी समर्पित कर सकता है

j

कर्तव्यों और बच्चे को भी उसकी हिरासत में रहते हुए घरेलू महसूस होगा j

नालूरल/आरसीएएल पिता। 'याचिकाकर्ता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और वह 1

उसके समर्थन, कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य, बेहद अच्छी शिक्षा और उचित परवरिश में गहरी दिलचस्पी है। उइस के पिता शिकागो, - यूएसए में विश्वविद्यालयों और सिटी कॉलेजों में

पढ़ा रहे थे। अदालत में अपने बयान में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का अमेरिका में इलाज चल रहा है। यू को दिल की समस्या है। जैसे कि [1]
वह अपनी नौकरी में पूर्णकालिक काम करने में सक्षम नहीं है। इस पहलू पर आपत्ति जताई गई थी [1]
दलीलों से परे। उइस ने कहा कि याचिकाकर्ता अमेरिका में रह रहा थामैंपिछले 18 वर्षों से अधिक और पिछले लगभग 8 वर्षों से उन्हें एक चिकित्सा समस्या है जिसके लिए उन्होंने चिकित्सा उपचार कराया था। इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिरह में जनरल अटॉर्नी दिलराज सिंह सेखों ने इस बात से इनकार किया कि उनके पास वर्तमान मामले पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनहोने ने कोर्ट में मूल जनरल पावर ऑफ एटोमी (GPA) लाया था। यह सुझाव देना गलत था कि GPA में उन्हें किसी भी आसानी से और कानून की किसी भी अदालत में मुकदमा करने या अपने बेटे का बचाव करने का अधिकार और अधिकार नहीं दिया गया था। यह सुझाव देना गलत बताया गया है कि फैमिली कोर्ट में केवल याचिकाकर्ता को ही उपस्थित होना आवश्यक है और वह हकदार हैमामले पर मुकदमा चलाओ। वह पिछले करीब 15 साल से कैब चला रहे थे।

फिर से कहा कि वह इससे पहले सामान्य कर्तव्यों का पालन कर रहा था। मुझे याद नहीं था कि वह क्या सामान्य कर्तव्य कर रहा था और क्या निजी प्रतिष्ठान मेंया सरकार। 'कैब उसकी पत्नी की है। उनके पास केवल एक कैब थी। 'दवाहन का अर्थ है कि कैब को समय-समय पर बदला जा रहा था। 1 उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि उसका पुत्र किस आदर्श और बनावट को चला रहा है। मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा आयकर का भुगतान कर रहा था या नहीं, लेकिन वह वित्तीय कठिनाइयों में था और खर्च को पूरा करने में असमर्थ था
चिकित्सा उपचार की। उनका बेटा ग्रीन कार्ड धारक था। 1 यानी नहीं था उसी का विवरण। उनके बेटे के पास भारतीय पासपोर्ट था और वह भारतीय नागरिक था। यह गलत बताया गया है कि वह अपने बेटे के ग्रीन कार्ड रखने का विवरण छिपा रहा था क्योंकि उसे डर था कि प्रतिवादीसंयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से याचिकाकर्ता की आय का विवरण प्राप्त करें यदिउनके ग्रीन कार्ड के विवरण का खुलासा अदालत में किया गया था। मैंने स्वेच्छा से कहा कि उन्होंने अपने बेटे की आय की प्रतियां प्राप्त करने की कोशिश की।यह आगे कहा गया है कि वह पिछले 18 वर्षों से अपने बेटे के आयकर रिटर्न का उत्पादन नहीं करेंगे। यह गलत है कि वह पिछले 18 वर्षों से जानबूझकर अपने बेटे के आयकर रिटर्न को छुपा रहे थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया उन्हें रिकॉर्ड पर रखने से इनकार कर दिया। उनका बेटा किराए के मकान में रह रहाउसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वर्तमान किराये के आवास में कितने कमरे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कितना किराया दे रहा है। उनके बेटे को उनकी मां ने बसा लिया था। उसकी पत्नी पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही थी। वह काम नहीं कर रही थी और केवल एक गृहिणी थी। वर्तमान याचिका में बीमारी के बारे में खुलासा करना आवश्यक नहीं समझा। उसने स्वेच्छा से कहा क्योंकि वह अंशकालिक नौकरी कर रहा था। पार्ट टाइम जॉब कैब चला रही थी। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उनका बेटा अपनी पत्नी के पक्ष में कैब के रूप में वाहन चला रहा था। यह गलत बताया गया है कि उनका बेटा एक टुल टाइम ट्रांसपोर्टर था जिसके पास कई वाहन थे। यह गलत बताया गया है कि उनके और उनकी पत्नी के मार्गदर्शन में उनके बेटे ने प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया था। यह कहना गलत बताया गया है कि अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चे की कस्टडी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। यह सुझाव देना भी गलत था कि उनका बेटा एक कट्टर

शराबी था जो हर दिन पीता था। यह गलत बताया गया है कि एक अमेरिकी अदालत द्वारा उनके बेटे को दी गई तलाक की डिक्री को अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया था। II को सही कहा गया है कि आदेश Ex.R3 के तहत, प्रतिवादी के पक्ष में क्रमशः 30,000/- रुपये और नाबालिग बच्चे के पक्ष में 20,000/- रुपये का भरण-पोषण भत्ता पारित किया गया था। 1 यानी उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्हें नहीं पता था कि स्टे उनके पक्ष में दिया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता ने अंतरिम रखरखाव भत्ते के पूर्वोक्त आदेश का पालन नहीं किया था। उन्होंने अपनी आय से मुकदमेबाजी खर्च के रूप में उच्च न्यायालय में 70,000/- रुपये जमा किए थे। यह कहना गलत था कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे को आज तक एक पैसा भी नहीं दिया है। वह प्रतिवादी और उसके बच्चे को रखरखाव के भुगतान का कोई रिकॉर्ड नहीं लाया था। उन्होंने समय-समय पर राशि का भुगतान किया था, जिसका उल्लेख किया गया था। यह सही कहा गया है कि उनका बेटा प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे को कभी भी यूएसए नहीं ले गया था। यह स्वेच्छा से कहा गया है कि वे स्वयं यूएसए नहीं गए थे। यह कहना गलत है कि उनके बेटे ने अमेरिकी दूतावास में प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे के वीजा के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। यह सुझाव देना भी गलत बताया गया है कि उसने प्रतिवादी को वीजा आवेदन करने के लिए एक फॉर्म भेजा था, जिसमें उसकी दोस्त की अविवाहित बेटी दिखाई गई थी। उनके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उनके बेटे ने कभी प्रतिवादी और उसकी नाबालिग बेटी के लिए वीजा के लिए आवेदन किया था। यह स्वेच्छा से कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा आगे की आव्रजन प्रगति को नहीं भरा जा सका। यह कहना गलत बताया गया है कि याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) ने 2003 से प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया था। यह सुझाव देना गलत बताया गया है कि उसने प्रतिवादी और उसके भाई के खिलाफ अतिचार की झूठी आसानी की सीडी की है, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन सेंट्रल फरीदाबाद में धारा 406 और 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत एक याचिका दायर की थी। यह सुझाव देना गलत बताया गया है कि बच्चे के कल्याण की रक्षा की जाएगी और केवल प्रतिवादी के साथ ही सुरक्षित किया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि याचिकाकर्ता वर्तमान में कितना कमा रहा था क्योंकि वह अंशकालिक काम कर रहा था। वह पूरी तरह से चूची था और बहुत कमा रहा था लेकिन प्रतिवादी और उसके नाबालिग बच्चे को कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहता था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह झूठी गवाही दे रहे थे।

(12) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 22.02.2006 (Ex.Pl) को आई लार्प्ट सिंह सेखों (अपीलकर्ता) द्वारा अपने पिता दी इराज सिंह सेखों के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो इस मामले का पीछा कर रहे हैं। हरप्रक्ट सिंह (Ex.P2) के पासपोर्ट की फोटोकॉपी, जिसमें भारत आगमन और प्रस्थान की तारीखों का उल्लेख है। कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट ऑफ सर्किट कोर्ट द्वारा पारित विवाह के विघटन के लिए निर्णय दिनांक 23.5.2005 (Ex.P3) की फोटोकॉपी और शिकागो के सिटी कॉलेजों में से एक मैल्कम एक्स कॉलेज के पत्र (Ex.P4) की एक फोटोकॉपी में उल्लेख किया गया है कि दी इराज सिंह सेखों (अपीलकर्ता का GPA) ने नवंबर में मैल्कम एक्स कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया, 1998. इसके अलावा, मार्क ए प्रस्तुत किया गया था जो फॉर्म जी -325 ए का एक फोटोस्टेट है और गठन में राज वेंट्स कौर (प्रतिवादी) जीवनी द्वारा हस्ताक्षरित दिखाया गया है, इसके अलावा, मार्क बी प्रस्तुत किया गया था जो डॉ विष्णु डी गैहा, एमडी द्वारा जारी एक

प्रमाण पत्र है। इसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि हरप्कट सिंह सेखों (अपीलकर्ता) उनके रोगी थे, जिन्हें कोरोनरी धमनी की बीमारी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी के बाद की स्थिति, एआईसीडी प्रत्यारोपण के बाद की स्थिति, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन का इतिहास और मधुमेह था। मुझे लगा कि मरीज फुल टाइम बेसिस पर काम नहीं कर सकता। मार्क सी कुक काउंटी, इलिनोइस की अदालत का एक अन्य दस्तावेज है जो राज वंत कौर द्वारा हस्ताक्षरित एक फोटोस्टेट कॉपी है, जिसमें उनके वकील श्री मनदीप सिंह सचदेव के माध्यम से मामले में उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है। मार्क डी मल्होत्रा एंड मल्होत्रा एसोसिएट्स के दिनांक 19.4.2005 के पत्र की एक फोटोस्टेट प्रति है। इंटरनेशनल लॉयर्स जिसमें यह कहा गया है कि राज कौर सेखों की ओर से पेशी लगाई जा रही थी। मार्क ई प्रतिवादी राजवंत कौर द्वारा याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता), उसके माता-पिता दिलराज सिंह सेखों (अपीलकर्ता के पिता) के खिलाफ विद्वान लक्का मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद की अदालत में दायर एक शिकायत है और तजिंदक्र कौर सेखों (अपीलकर्ता की मां), सतनाम कौर (माता-पिता - प्रतिवादी की सास) और श्रीमती पिक्की श्री प्रेम पाल ओलख (sic. - औलख) की पत्नी। उक्त शिकायत को दिनांक 04-09-2010 के आदेश द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था। मार्क 'एफ' दिलराज सिंह सेखों द्वारा हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को राजवंत कौर (प्रतिवादी) के खिलाफ दायर शिकायत की एक प्रति है। मार्ग 'जी' इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.3.2011 के आदेश की एक फोटोस्टेट प्रति है, जिसके तहत स्कैक्रेट सेखों की नियमित दूसरी अपील ने घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए उसके द्वारा दायर मुकदमे में कि वह सूट संपत्ति के वास्तविक भौतिक कब्जे में मालिक थी और उसे अपनी मां के साथ कानून के अनुसार उनके बराबर हिस्से के अनुसार वास्तविक मालिक घोषित किया गया था।

(13) प्रतिवादी ने अपने साक्षय में अपने हलफनामे Ex.RWl / A के साथ-साथ Ex.RI से R4 के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। अपने साक्षय में उसने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत और कष्टप्रद थी। यह केवल उसे ब्लैकमेल करने और उस पर दबाव डालने के लिए दायर किया गया था ताकि वह बहु-आयामी मुकदमेबाजी को आगे न बढ़ा सके। प्रतिवादी के नेतृत्व में जो शपथ पत्र (पूर्व.आरडब्ल्यू.आई/ए) दायर किया गया है, वह उसके द्वारा दायर लिखित बयान के अनुरूप है। जिरह में उसने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा कहा कि बेबी स्क्रेट छठी कक्षा में पढ़ रहा था। यह सही था कि उसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए 4000/- रुपये प्रति माह के लिए निजी तौर पर एक टचूटर नियुक्त किया था। उन्होंने (प्रतिवादी) राजनीति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास के विषयों में दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 1997 में बीए पास किया। यह गलत बताया गया है कि उसकी शिक्षा के पीछे के मैदान में वह अपनी बेटी को पढ़ाने में असमर्थ थी। उसने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। यह कहना गलत है कि बेबी स्क्रेट को सितंबर 2009 में उसके द्वारा दी गई पिटाई के कारण फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था। यह कहना गलत है कि वह और उसकी बेटी सेक्टर 9 में अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे। यह कहना गलत था कि उसके माता-पिता पूरी तरह से अनपढ़ थे। यह कहना गलत था कि उसके पिता बरीदाबाद में टेम्पो चलाते थे। यह कहना गलत था कि उसके पिता हर रोज पीते थे। उसे नहीं पता था कि उसका पति अमेरिका में अपने माता-पिता के साथ रह रहा था क्योंकि वह कभी अमेरिका नहीं गई थी। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसके ससुर हमेशा फरीदाबाद में रहते थे और वह उन्हें देख रही थी। यह सही कहा गया है कि उसने शिकागो में अपने पते पर अपने मोथक्र-ससुर को पत्र लिखा था। उसे नहीं पता था कि उसके ससुर के भारत

आने के बाद या हार्परेक्ट घर का सारा खर्च उठा रहा था और अपार्टमेंट का किराया दे रहा था। वह सुझाव से सहमत नहीं थीकि याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) बेबी सीरत की देखभाल करने और रखने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था और यह स्कैक्रेट के कल्याण के लिए होगा। वह (प्रतिवादी) शिक्षा सहित किसी भी कारण से अपने बच्चे को अमेरिका भेजने में कभी खुश नहीं होगी।

(14) प्रतिवादी ने अपने बचाव में विद्वान जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा घोषणा के लिए एक वाद में पारित दिनांक 25-8-2010 (पूर्व) के निर्णय की एक प्रति साक्षय में प्रस्तुत की, जिसके संदर्भ में प्रतिवादी का वाद उसके पक्ष में डिक्री किया गया था और कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री दिनांक 23.5.2005, इलिनोइस, यूएसए को अमान्य और शून्य घोषित किया गया था और प्रतिवादी के अधिकार पर बाध्यकारी नहीं था। इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.10.2010 (Ex.R2) की एक प्रति जिसमें 25.8.2010 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ 2010 के FAO संख्या 5742 में नोटिस जारी किया गया था, बशर्ते अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ 4.10.2010 से एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को भुगतान किए जाने वाले मुकदमेबाजी खर्चों के लिए 70,000/- (अनंतिम) की राशि जमा की हो। विलंब की क्षमा के संबंध में आवेदन में प्रस्ताव की सूचना और मुख्य अपील में भी जारी किए गए थे। इसके अलावा, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही में प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 (Ex.R3) की एक प्रति साक्षय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें आवेदन की तारीख से हर महीने की दस तारीख से पहले राजवंत कौर (प्रतिवादी) को 30,000/- रुपये और सीरत को 20,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए अंतरिम रखरखाव किया गया था।

(15) यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता अमेरिका में रहा है और उसने किसी भी समय नाबालिग की देखभाल नहीं की है। इसके विपरीत नाबालिग अपनी मां की हिरासत में है जो प्रतिवादी है। नाबालिग ने खुद अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई है। अपीलकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए साक्षय में कुछ भी नहीं है कि उसने मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 70,000/- रुपये की राशि को छोड़कर नाबालिग के लिए भुगतान किया था, जो कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.10.2010 (Ex.R2) के कारण था, जो डेल ए के माफी के संबंध में आवेदन पर प्रस्ताव की सूचना जारी कर रहा था और निर्णय और डिक्री दिनांक 25.8.2010 (Ex.Rl) के खिलाफ मुख्य अपील में जिसके द्वारा तलाक डिक्री दिनांक 23.5.2005 (Ex.P3) द्वारा पारित किया गया था। कुक काउंटी, इलिनिओस (यूएसए) के सर्किट कोर्ट को वादी (अब प्रतिवादी राजवंत कौर) के अधिकार पर बाध्यकारी नहीं होने के कारण डिक्री दी गई थी। इसके अलावा, यह सबूत में आया है कि अपीलकर्ता दिल की बीमारी से पीड़ित है और उसके पिता दिलराज सिंह सेखों के अनुसार, वह वित्तीय संकट में है और अपने चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

(16) 'अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संदर्भ में, पिता पहला प्राकृतिक अभिभावक है और मां उसके बाद आती है, 'इसलिए, हिरासत अपीलकर्ता को दी जा सकती है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **सुरिंदर कौर संदित** बनाम **हर्ब कुल्हाड़ी सिंह संधू और अन्य *(आई)***[1]में कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और गुराडियनशिप अधिनियम की धारा 6 इस बात पर सर्वोपरि विचार का स्थान नहीं ले सकती है कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल था। लड़के को अपने दृष्टिकोण से, यह आयोजित किया गया था कि उसे मां की हिरासत में होना चाहिए। **गीता हरिहरन और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य [2]के मामले में,** यह माना गया कि एक मां पिता के जीवित होने पर भी नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है। हिंदू अल्पसंख्यक और गुराडियनशिप अधिनियम की धारा 6 (ए) में शब्द 'बाद' को "पिता की अनुपस्थिति में" के अर्थ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उक्त धारा को लैंगिक समानता के संवैधानिक संरक्षण के अनुरूप बनाया जा सके। जिस संदर्भ में यह धारा 6 (ए) में प्रकट होता है, इसका अर्थ है "की अनुपस्थिति में", उसमें "अनुपस्थिति" शब्द किसी भी कारण से नाबालिग की संपत्ति या व्यक्ति की देखभाल से पिता की अनुपस्थिति का जिक्र करता है। यदि कोई पिता नाबालिग के मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, भले ही वह मां के साथ रह रहा हो या पिता और मां के बीच आपसी समझ के कारण, बाद वाले को विशेष रूप से नाबालिग के प्रभारी के रूप में रखा जाता है, या यदि पिता शारीरिक रूप से नाबालिग की देखभाल करने में असमर्थ है या तो उस जगह से दूर रहने के कारण जहां मां और नाबालिग रह रहे हैं या उसकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता, ऐसी सभी स्थितियों में, पिता को अनुपस्थित माना जा सकता है और मां एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, अभिभावक के रूप में नाबालिग पर वैध रूप से कार्य कर सकती है। यह आगे कहा गया कि जबकि माता-पिता दोनों अपने नाबालिग बच्चे के व्यक्ति और संपत्ति की देखभाल करने और उसके कल्याण के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, उन सभी स्थितियों में जहां पिता नाबालिग के मामलों के वास्तविक प्रभारी नहीं हैं या तो उसकी उदासीनता के कारण या उसके और नाबालिग की मां (मौखिक या लिखित) के बीच एक समझौते के कारण और नाबालिग में है किसी अन्य कारणों से माता या पिता की विशेष देखभाल और अभिरक्षा उसकी शारीरिक और/या मानसिक अक्षमता के कारण नाबालिग की देखभाल करने में असमर्थ है, मां नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है और सभी एचसीआर कार्य पिता के अंतिम समय के दौरान भी मान्य होंगे, जिन्हें <u>धारा 6 (ए) के प्रयोजनों के लिए "अनुपस्थित" माना जाएगा।</u>

गारडियन अधिनियम और संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 19 (बी)। **गायत्री बजाज** बनाम **जितेन भल्ला [3]में,** यह माना गया था कि नाबालिग के हित और कल्याण को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह माता-पिता का बेहतर अधिकार नहीं है कि उन्हें अभिरक्षा के अधिकार का निर्णय लेते समय अधिनिर्णय की आवश्यकता हो, बच्चे की इच्छा के साथ-साथ बच्चे की देखभाल करने के लिए संबंधित माता-पिता की क्षमता और साधनों के साथ-साथ उचित पालन-पोषण के लिए अनुकूल और उपयुक्त वातावरण की उपलब्धता के साथ-साथ कुछ प्रासंगिक कारक जिन्हें न्यायालय द्वारा हिरासत के मुद्दे पर

---

1 एआईआर 1984 एससी 1224
2 एआईआर 1999 एससी 1149
3 *(2012) 12* एससीसी *471*

निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए एक नाबालिग का। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जबकि अन्य सभी कारक निस्संदेह प्रासंगिक हैं, यह नाबालिग की इच्छा, हित और कल्याण है जो महत्वपूर्ण और अंतिम विचार है जिसे न्यायालय द्वारा किए जाने वाले कारावास का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए, मुख्य रूप से यह देखा जाना चाहिए कि अवयस्क का डब्ल्यूसीएल किराया क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है, न्यायालय माता-पिता के प्राकृतिक अधिकारों का अधिक्रमण कर सकते हैं और बच्चे की अभिरक्षा को उसे बहाल नहीं कर सकते हैं जहां अयोग्यता के कारण बच्चे का कल्याण खतरे में है। बच्चे की कस्टडी का माता-पिता का अधिकार संपत्ति के अधिकार की तरह अधिकार नहीं है, बल्कि बच्चे के लाभ के लिए विश्वास का अधिकार है। इसलिए, जहां एक माता-पिता उन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिनमें उसके पक्ष में विश्वास होता है, तो वह बच्चे की कस्टडी के अपने अधिकार को छोड़ देता है। माता-पिता का अधिकार बच्चे के हित के लिए गौण है। इली राइट को लागू नहीं किया जाएगा जहां यह बच्चे के हित के साथ संघर्ष करता है।

(17) इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता नाबालिग की हिरासत मांगने के लिए वर्तमान कार्यवाही में कभी पेश नहीं हुआ है और वह अपने फतह/वकील दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से चुनाव लड़ रहा है। साक्षय के रूप में दिनांक 22-2-2006 (Ex.Pl) को मुख्तारनामा दिया गया था। उक्त मुख्तारनामा को पढ़ने से पता चलता है कि मैंने उसके पिता दिलराज सिंह सेखों (अपीलकर्ता) को निम्नलिखित कार्य करने के लिए नियुक्त किया >

1. 'एफओ अपने (अपीलकर्ता) एनएएमसी/एचआईआईएस में किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने और खरीदने में कृषि भूमि भी शामिल है।
2. 'अपीलकर्ता के नाम पर बचत बैंक और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने के लिए।
3. 'मैं अपीलकर्ता के नाम पर भारत के यूनिट ट्रस्ट और किसी भी वित्तीय संस्थानों में रखे गए खातों का संचालन करता हूं।
4. 'एफओ अपीलकर्ता और उसके नाम के लिए किसी भी प्रकृति या प्रकार के किसी भी और सभी वैध व्यवसाय में संलग्न और लेन-देन करता है।
5. 'एलबी किसी भी कार्य, अधिकार, शक्ति, विधिवत या दायित्व का प्रयोग करता है, करता है, या करता है, या करता है जो कभी भी अपीलकर्ता के पास किसी भी व्यक्ति, मद, चीज, लेनदेन, व्यावसायिक संपत्ति, वास्तविक या व्यक्तिगत, मूर्त या अमूर्त या जो भी हो, से उत्पन्न या उससे संबंधित होने के संबंध में प्रयोग करने, करने या प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार, शक्ति या क्षमता प्राप्त कर सकता है
6. इस उपकरण को अटोमी की सामान्य शक्ति के रूप में समझा और व्याख्या की जानी चाहिए, मैं लापर्रक्ट सिंह सेखों को देना और प्रदान करना चाहिए, अटॉर्नी ने सभी और हर कार्य और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार के रूप में परिसर के बारे में पूरी तरह से सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए किया है जैसा कि मैं पूरी शक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता हूं या कर सकता हूं प्रतिस्थापन और निरसन के एतद्द्वारा रति फाइंग और सभी की पुष्टि करते हुए कि हरप्ट सिंह सेखों ने कहा कि एटोमे करते हैं या इसके आधार पर किए जाने का कारण बनते हैं

(18) उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी का एक पठन एक सामान्य शक्ति की

प्रकृति में है जिसमें नाबालिग की हिरासत की मांग करने वाली कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोई शक्ति शामिल नहीं है।

(19) मैंने ^प्रतिवादी के वकील को प्रदत्त शक्ति की प्रकृति पर कड़ी आपत्ति जताई है क्योंकि यह विशेष रूप से अपीलकर्ता हरप्ट सिंह सेखों की ओर से मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए दिलराज सिंह सेखों को अधिकृत नहीं करता है।

(20) माउंट इंद्रवती **बनाम** हरिराम और अन्य[4] **मामले में** फोना कंगाली में अपील की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया गया था। आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन एक सदा नंद द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसने खुद को आवेदक का अधिकृत एजेंट बताया था। आवेदन दायर करने वाले सदा नंद के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी ने यह माना कि विशेष रूप से उन्हें फोना कंगाल में अपील करने के लिए आवेदक के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। पावर ऑफ अटॉर्नी ने उन्हें केवल अपील करने की शक्ति दी। यह माना गया कि आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई उचित प्रस्तुति नहीं दी गई थी। रिलायंस को **सकीनाबीबी** बनाम **चर्नजीत सिंह** [5] पर रखा गया था, जिसमें वादी द्वारा दो प्लीडरों को दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिकार के तहत एक कंगाल के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और एक विधिवत प्रमाणित 'मुख्तार'। यह माना गया कि कानूनी चिकित्सकों के पास केवल एक साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी थी और इस तरह के आवेदन की प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से अधिकृत नहीं थे। यहां दी गई शक्ति (Ex.Pl) वास्तव में अपीलकर्ता की ओर से मुकदमा चलाने के लिए किसी भी एसपीसीसीआई एफआई अधिकार के लिए प्रदान नहीं करती है। 'हाय आगे। दिलराज सिंह सेखों को संचालन करने के लिए विधिवत अधिकृत नहीं कहा जा सकता है

अपीलकर्ता के खिलाफ बीसीबीएएल पर मुकदमेबाजी। किसी भी मामले में दिलराज सिंह स्कोन को नाबालिग के पिता की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नाबालिग के कल्याण के संबंध में गवाही देने की स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा उसकी मन:स्थिति और आचरण और नाबालिग के संबंध में उसकी सदाशयता के बारे में यह साबित और स्थापित किया जाना आवश्यक है और नाबालिग की हिरासत को पिता को सौंपना काफी अनुचित और असुरक्षित होगा जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में उपस्थित नहीं हुआ है और गवाही नहीं दी है, आचरण और सदाशयता ज्वार लेकिन अपने पिता के माध्यम से मुकदमेबाजी कर रहा है, जो अन्यथा भी अनुचित है। अपीलकर्ता द्वारा जो साक्षय दिए गए हैं, जिन्हें उपरोक्त दस्तावेजों में संदर्भित किया गया है, इस न्यायालय में अपीलकर्ता को नाबालिग की हिरासत सौंपने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। अपीलकर्ता के कथित वकील के माध्यम से गंजे दावों को छोड़कर कि नाबालिग को संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी तरह से लाया जाएगा, इस संबंध में कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया गया है।

(21) विद्वान जिला न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट ने अपने आक्षेपित आदेश में कहा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादक ने कभी भी अपने वकील को नाबालिग बेटी की कस्टडी के लिए याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी। यह माना गया कि अपीलकर्ता कोरोनरी धमनी की बीमारी का रोगी था और वह पूर्णकालिक आधार पर काम नहीं कर सकता था। इली याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) अपनी नाबालिग बेटी से मिलने कभी नहीं गया था। अपीलकर्ता के कथित वकील दिलराज सिंह स्कोखन ने अपनी

---

4 एआईआर 1937 लाहौर 318

5 एआईआर 1915 लाहौर 369

जिरह में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा आयकर का भुगतान कर रहा था या नहीं, लेकिन वह वित्तीय कठिनाई में था और चिकित्सा उपचार के खर्च को पूरा करने में असमर्थ था। मुझे उनके बेटे की आय का पता नहीं था। नाबालिग अपनी मां की कस्टडी में रही है। पक्षकारों के बीच कई मुकदमे चल रहे हैं। अपीलकर्ता द्वारा केवल प्रतिवादी पर दबाव डालने के लिए हिरासत की मांग करने के लिए याचिका दायर करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना है कि यह नाबालिग बेटी के हित और कल्याण में नहीं होगा, अगर उसकी कस्टडी उसकी मां (प्रतिवादी) को दी गई थी और इसलिए, अपीलकर्ता को नाबालिग की कस्टडी का हकदार नहीं ठहराया गया था। पूर्वोक्त स्थिति के मद्देनजर, हम उक्त निष्कर्षों और रिकॉर्ड पर साक्षय और सामग्री और पार्टियों के लिए वकील की प्रस्तुतियों के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुंचे निष्कर्षों के साथ कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। "हिक्रफोर, ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(22) नतीजतन, अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा